FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0045 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 17/02/2026 13:07 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(d)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
3	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 22/07/2019 **Date To (दिनांक तक):** 20/12/2019

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 00:01 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 17/02/2026 **Time (समय):** 11:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 17/02/2026 13:07:51 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 45 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** GRAM DHELANA AND, GRAM PANCHAYAT SELGURA, PANCHAYAT SAMITI AMET, JILA RAJSAMAND

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** HIMMAT CHARAN

(b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 25/03/1992 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	WARD NO-03, SAAGAD, FATEHGADH, SANGAD, JAISALMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	WARD NO-03, SAAGAD, FATEHGADH, SANGAD, JAISALMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NAINALAL		पिता:UNKAR JI RAIGAR	1. SELAGURA,AMET,RAJSAMAND ,RAJASTHAN,INDIA
2	JAGDISH CHANDRA GARG AND OTHERS		पिता:MOTILAL GARG	1. KHANDEL,RELMANGRA,RAJSA MAND,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	333.90 लाख रूपये	

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि ग्राम पंचायत सेलागुडा के अधीन राजस्व ग्राम ढेलाणा की आबादी भूमि मे तत्कालीन सरपंच श्री नैनालाल रेगर, उप सरपंच श्री देवीलाल कुमावत एवं सचिव श्री जगदीशचन्द्र गर्ग द्वारा करोडो रूपयों की बेसकीमती जमीन को अपने चेहते लोगो को राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के नियमो के विपरित जाकर रियायती दर पर पट्टे आवंटित कर दिये जबकि जिस भूमि के पटटे आवंटित किये गये वह भूमि बालिका विद्यालय, खेल मैदान हेतु आरक्षित थी, जिस पर नियमानुसार पट्टे नहीं काटे जा सकते। उक्त पट्टो के बाबत वर्तमान ग्राम पंचायत के अधिकारियों ने ग्रामवासियो द्वारा की गई शिकायत पर जांच करवाई व जांच में विकास अधिकारी पंचायत समिति आमेट ने भी माना कि पट्टे नियमानुसार ही नहीं है एवं ग्राम पंचायत द्वारा नियमो की पालना नहीं कर विभिन्न लाभार्थियो को अनुचित फायदा पहुंचाने के आशय से पट्टे आवंटित किये है ओर जिन लोगों के स्वयं के गृह है एवं पात्र श्रेणी में नहीं आते है, उनको भी पट्टे आंवटित कर दिये है जिसकी जांच होने के उपरान्त स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान ने अपात्र परिवारो को भूखण्ड खुली बोली एवं निलामी नहीं की जाने से राजकोष को 222.60 लाख की वितिय हानि होना माना है व एक अन्य जांच में भी 111.30 लाख रूपये की वित्तीय हानि मानी है। इस मामले में लाखो रूपयो का भ्रष्टाचार हुआ है। उक्त आशय का परिवाद भ्र0नि0ब्यूरो मुख्यालय के पत्र क्रमांक भ्रनि0ब्यूरो/परिवाद/2016/10369 दिनांक 07.08.25 के द्वारा परिवाद संख्या 20/2025 विरूद्व श्री नेनालाल रेगर तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सेलागुडा पंचायत समिति आमेट जिला राजसमन्द एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज होकर दिनांक 20.08.25 को प्राप्त हुआ जिसकी जांच मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत चारण द्वारा की गई। दौराने जांच परिवाद में अंकित शिकायत से सम्बन्धित रेकार्ड ग्राम पंचायत सेलागुडा द्वारा जारी पट्टो के संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति आमेट द्वारा दिनांक 16.09.2020 को की गई जांच रिपोर्ट मय नियमावली की प्रमाणित प्रति, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत ग्राम पंचायत सेलागुढा में आरक्षित आबादी भूमि आराजी संख्या 591 में 100 पट्टे तथा 50 पट्टे रियायत दर पर अलग-अलग पट्टे आवंटित किये गये थे जिसमें से 100 पट्टे मय मिशल की प्रमाणित प्रतिया एवं 50 पट्टो में से 20 पट्टे मय मिशल की प्रमाणित प्रतिया एवं पट्टाधारको की सूची मय 3 पट्टाधारको का मृत्यु प्रमाण पत्र, ग्राम ढेलाणा पटवार हल्का सैलागुढा तहसील आमेट के पुराना आराजी नम्बर 591 तथा नवीन आराजी नम्बर 314 की जमाबंदी की नकले, उक्त आराजी का पुराना एवं नया नक्षा ट्रेस, ग्राम ढेलाणा स्थित उक्त आराजीयात का मिलान खसरा एवं ग्राम ढेलाणा की एरियावाईज निर्धारित डीएलसी दर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की गई। गवाह सर्वश्री प्रमोद कुमार दशोरा, श्री अरूण कुमार, श्री उगराज सिंह एवं श्री हेमराज फुलवारिया के बयान लिए गए तथा दोषी श्री नेनालाल रेगर तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सेलागुडा पंचायत समिति आमेट जिला राजसमन्द एवं जगदीश गर्ग, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, ग्रा0 पंचा0 सेलागुडा के स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। दौराने जांच प्राप्त दस्तावेजात, एवं मौखिक साक्ष्य का गहन विवेचन करने पर पाया गया कि श्री उगराज सिंह सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति आमेट जिला राजसमन्द द्वारा ग्राम पंचायत सेलागुढा के ग्राम ढेलाणा में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत तथा आराजी संख्या 456 (आबादी भूमि हेतु आरक्षित) में जारी 27 पट्टे तथा आराजी नं. 589 (आबादी भूमि हेतु आरक्षित) में 6 पट्टे एवं आराजी संख्या 2823/1941 (आबादी भूमि हेतु आरक्षित) में जारी 17 पट्टे, राजरथान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 में जारी पट्टो की जांच विकास अधिकारी श्री राकेश पुरोहित के आदेशानुसार मौके पर जाकर रिकार्ड अनुसार जांच की गई। उक्त पट्टो की जांच कर श्री उगराज सिंह सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति आमेट जिला राजसमन्द द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार कर विकास अधिकारी श्री राकेश पुरोहित पंचायत समिति आमेट को प्रस्तुत की गई थी। जो निम्नानुसार हैः- राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(2) में ऐसे परिवार जिनके पास कही भी कोई गृह अथवा गृह स्थल नही है तथा जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी-झोपडी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा होने पर अधिकतम 300 वर्गगज भूमि मुफ्त विनियमितियकरण के लिए हकदार होते है। ऐसी भूमि का पटटा (प्रारूप 23-ख में) परिवार की महिला मुखिया के नाम जारी किये जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत सेलागुडा के ग्राम ढेलाणा में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पटटो की जांच करने पर पाया गया कि पटटा बुक सं. 189 (प्रारुप 23-ख) रा.प.रा.नि. 1996 के नियम 157(2) अनुसार कुल 100 पटटे जारी किये गये। जिसने निम्नानुसार

कमिया पाई गई। (1) ग्राम पंचायत की पट्टा बुक संख्या 189 का अवलोकन करने पर पाया गया कि पट्टा बुक में पट्टे पर भूखण्ड दर्शाया गया है तथा ले-आउट प्लान में भी भूखण्ड ही है लेकिन मौके पर ग्राम ढेलाणा की आराजी सं. 591 (आरक्षित आबादी हेतु) पर एक भी झुग्गी झोपडी एवं कच्चा आवास नही है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157(2) के तहत जारी पट्टे नियम विरूद्ध जारी किये गये। (2) वक्त निरीक्षण आराजी संख्या 591 के फोटोग्राफ लिये गये जिसमें पटटाधारियों के न तो कही झुग्गी-झोपडी है तथा न ही कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर कोई कब्जा पाया गया। अतः नियम 157(2) में ग्राम पंचायत द्वारा नियम विरूद्ध पट्टे जारी किये गये। (3) ग्राम पंचायत की पटटा बुक संख्या 192 जो कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) में पटटे जारी किये जाने से सम्बन्धित है जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत्त द्वारा पट्टा बुक संख्या 192 में पटटा संख्या 10 व 22 के पृष्ठ भाग पर नक्शा दर्ज नहीं किया गया एवं खाली छोड दिया गया जिससे पटटे के अड़ोस-पड़ोस एवं स्थान का पता नही लग सकता है। अतः नियम 157(1) में ग्राम पंचायत द्वारा नियम विरूद्ध पटटे जारी किये गये है। (4) ग्राम पंचायत की पटटा बुक संख्या 192 जो कि राजरथान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) में पटटे जारी किये जाने से सम्बन्धित है। जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा बुक संख्या 192 में पटटा संख्या 23, खाली भूखण्ड संख्या 38 आराजी संख्या 591 (आरक्षित आबादी) में जारी किया गया है। नियम 157(1) में खाली भूखण्ड का पटटा जारी नही किया जा सकता है, नियमानुसार पूर्व में निर्मित आवास का विनियमितियकरण के तहत पट्टा जारी करने का प्रावधान है। अतः नियम 157(1) में ग्राम पंचायत द्वारा नियम विरूद्ध पट्टे जारी किये गये है। इसी प्रकार विकास अधिकारी पंचायत समिति आमेट जिला राजसमन्द के आदेशानुसार ग्राम पंचायत सेलागुढा के ग्राम ढेलाणा के आराजी संख्या 456 (आबादी भूमि हेतु आरक्षित) में जारी 27 पट्टे तथा आराजी नं. 589 (आबादी भूमि हेतु आरक्षित) में 6 पट्टे, पट्टा बुक संख्या 305 (प्रारूप 23-ग) में जारी किये गये। जिनको राजरथान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 में नियमों के अनुसार भूमियों का कमजोर वर्गो का आवंटन-1 पंचायत गांव आवंटितियों में (300) वर्गगज तक की आबादी भूमि आ.जा., अ.ज. जा., स्वच्छकारों, पिछडा वर्गो के सदस्यो, ग्राम कारीगरो, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहिन व्यक्तियों,एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगो, यायावर जनजातियों, गोडिया लुहार को जिनके पास गृह स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, रियायती दरो पर आवंटित कर सकेंगी और ऐसी भूमि का पट्टा प्रारूप 23-ग में जारी किया जा सकेगा, उक्त पट्टा बुक संख्या 305 में जारी किये गये ग्राम ढेलाणा के 33 पट्टे है। जिसके आराजी संख्या 456 (आबादी भूमि हेतु आरक्षित) में जारी 27 पट्टे तथा आराजी नं. 589 (आबादी भूमि हेतु आरक्षित) में 6 पट्टे जारी किये गये। जिनकी जांच निम्नानुसार हैः- (1) पट्टा बुक संख्या 305 में ग्राम ढेलाणा के 33 पट्टे जारी किये गये है उक्त पट्टो में से पंचायत के दो अलग-अलग ले आउट प्लान में ग्राम ढेलाणा की आराजी नं0 456 में कुल 19 प्लोट बताये गये है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा 27 पट्टे जारी किये गये है। (2) पट्टा बुक संख्या 305 में पट्टे की प्रति पर नक्षे में तथा अन्य जगह व्हाईटनर लगा हुआ है जहां पर बाद में पुनः मिटा कर लिखा गया है जिसे प्रमाणित भी नहीं किया गया है जिससे संदेह प्रतीत होता है। (3.) ग्राम पंचायत सेलागुढा बैठक दिनांक 21.09.2020 के प्रस्ताव संख्या 10 के अनुसार जानकारी प्राप्त की गई जिस पर 32 ही लाभार्थियों के गृह होना सामने आया। (4.) ग्राम विकास अधिकारी से प्राप्त सुचना के अनुसार जारी शुदा 33 पट्टों में से 32 लाभार्थियों के गृह स्थल/गृह है एवं पट्टा संख्या 11 डा0 अम्बेडकर भवन के निर्माण का जारी किया जाना, जो कि कमजोर वर्ग की श्रेणी में नहीं है। अतः राज0 पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार अपात्र को पट्टा जारी किया जाना पाया गया। इसी प्रकार विकास अधिकारी पंचायत समिति आमेट जिला राजसमन्द के आदेशानुसार श्री उगराज सिंह सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति आमेट जिला राजसमन्द द्वारा ग्राम सेलागुढा के आराजी संख्या 2823/1941 (आबादी भूमि हेतु आरक्षित) में जारी 17 पट्टों की जांच की गई तो पाया गया कि पट्टा बुक संख्या 305 (प्रारूप 23-ग) में जारी किये गये है। जिनको राजरथान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 में नियमों के अनुसार भूमियों का कमजोर वर्गो का आवंटन-1 पंचायत गांव आवंटितियों में (300) वर्गगज तक की आबादी भूमि आ.जा., अ.ज.जा., स्वच्छकारों, पिछडा वर्गो के सदस्यो, ग्राम कारीगरो, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहिन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगो, यायावर जनजातियों, गोडिया लुहार को जिनके पास गृह स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, रियायती दरो पर आवंटित कर सकेंगी और ऐसी भूमि का पट्टा प्रारूप 23-ग में जारी किया जा सकेगा । (1.) उक्त पट्टा बुक संख्या 305 (प्रारूप 23-ग) की प्रति ग्राम सेलागुढा की देखी गयी जिसमें ग्राम सेलागुढा के 17 आवंटितों को पट्टे जारी किये गये। (2.) पट्टा संख्या-16 सरपंच श्री नैनाराम रेगर की पत्नी, पट्टा संख्या-17 सरपंच की पुत्र वधु, पट्टा संख्या-20 में सरपंच की दूसरी पुत्र वधु, पट्टा संख्या 24 में सरपंच का पौत्र है। (3.) ग्राम विकास अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार सभी आवंटितियों के पास उक्त पट्टे के अलावा अतिरिक्त मकान है अर्थात पट्टे के अतिरिक्त ग्रह स्थल है। (4.) दिनांक 04.08.2021 को ग्राम सेलागुडा के खसरा नम्बर 2823/1941 (आरक्षित आबादी) जिसमें पटवारी पटवार हल्का की मौजूदगी में मौका देखा गया। मौके के अनुसार न तो यहां (खसरा नम्बर 2823/1941 आबादी हेतु आरक्षित) पर भुखण्ड काट रखें हैं, न ही भुखण्डो के निशान है और ना ही किसी आवंटिती का कब्जा है। (5.) पट्टा संख्या 26 डा0 अम्बेडकर भवन निर्माण का पट्टा जारी किया जो कि राजस्थान पंचायती राज 1996 के नियम 158 के अनुसार देना अनियमित है। (6.) राजस्थान पंचायती राज 1996 के नियम 142 के अनुसार जब कभी आबादी के विकास के लिए भूमि किसी पंचायत को

अन्तरित की जाये तो वे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में पदस्थापित नगर आयोजन के अधिकारी द्वारा जो सहायक नगर आयोजनाकार से नीचे की रेंक का न हो, ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करायेगी। उसे विभाग के वरिष्ठ नगर आयोजनाकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। ऐसे ग्रामीण क्षैत्र का भावी विकास अनुमोदित विकास योजना के अनुसार किया जायेगा। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे नियमानुसार नहीं है। दौराने जांच पाया गया कि स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर द्वारा गठित अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 में श्री गोपीलाल सालवी सहायक लेखाधिकारी प्रथम, श्री अभिनव चौधरी कनिष्ठ लेखाकार एवं श्री विनोद कुमार कुमावत कनिष्ठ लेखाकार द्वारा दिनांक 24.08.2020 से 18.12.2020 तक जांच कर रिपोर्ट तैयार की गई थी। अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार आक्षेप संख्या भाग-2 (अ)(स) 3- ग्राम पंचायत सेलागुड़ा ग्राम ढेलाणा में आबादी भूमि को निर्धारित प्रक्रिया अपनाये बिना भूखण्ड आंवटन करने से राजस्व हानि रूपये 222.60 लाख होना पाया गया। ग्राम पंचायत सैलागुडा ग्राम-ढेलाणा की आबादी भूमि आराजी संख्या 591 को ग्राम पंचायत द्वारा लॉटरी के जरिये भूखण्ड आंवटन में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 की निम्नानुसार अवहेलना की गई। अंकेक्षण टिप्पणी- 1. ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समिति राजस्थान पंचायती राज नियम 157 (2) के तहत पट्टा जारी करने से पूर्व ऐसे परिवार जिनके पास कही भी कोई गृह या गृह स्थल नहीं है जिनका निर्धारण वर्ष 2003 तक झुग्गी झोपडी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है इस प्रावधान में नियमों के तहत पात्र परिवारों का चयन न कर अपात्र परिवारों को भूखण्ड आवंटित्त कर नियमों की अवहेलना करना। 2. ग्राम ढेलाणा में स्थित आबादी भूमि पर भूखण्ड दर्शाना तथा ले आउट प्लान में भी भूखण्ड ही है तथा मोके पर ग्राम ढेलाणा आराजी सं. 591 (आरक्षित आबादी भूमि) पर एक भी झुग्गी झोपड़ी एवं कच्चा आवास नही है नियमों की पूर्ण अवहेलना करना। अतः ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा ग्राम ढेलाणा में आरक्षित आबादी भूमि आराजी संख्या-591 को विक्रय करने हेतु राजस्थान पंचायतीराज नियम के नियम 141 से 154 तक की पालना न कर नियम 157 (2) (प्रारूप-23 ख) में अपात्र परिवारों को भूखण्ड आंवटन (100 पट्टे जारी) को खुली बोली द्वारा नीलामी नही किये जाने से आरक्षित दर के अनुसार डीएलसी दर 166 रूपये प्रति वर्ग फीट भुखण्ड साईज 30X45 क्षैत्रफल 1350 वर्गफीट के अनुसार वित्तीय हानि राशि रु 222.60 लाख का संबंधित गठित समिति का उत्तरदायित्व निर्धारित करने एवं अपात्र परिवारों को भूखण्ड आंवटन निरस्त करने हेतु अंकेक्षण रिपोर्ट में दर्शाया गया है। आक्षेप संख्या भाग-2 (अ)(स) (4) भूखण्ड विहीन परिवारों को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन नही कर दोषपूर्ण प्रक्रिया से आबादी भूमि को खुर्द-बूर्द करने से राजस्व हानि रूपया 111.30 लाख होना पाया गया। ग्राम पंचायत सैलागुडा ग्राम-ढेलाणा की आबादी भूमि आराजी संख्या 591 को ग्राम पंचायत द्वारा लॉटरी के जरिये भूखण्ड आंवटन में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 की निम्नानुसार अवहेलना की गई। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 नियम 158(1) प्रारूप-23 (ग) के तहत ग्राम पंचायत द्वारा गांव में निवासरत आंवटितियों में (300 वर्गगज की आबादी भूमि अनुसूचित-जातियों स्वच्छकारो, अनुसूचित जन-जातियो,पिछड़े वर्गों के सदस्यों गांव कारीगरों श्रम मजदूरी पर आधारित भूमि हीन व्यक्तियो, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, जन-जातियों गाडिया लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृह स्थल/गृह नहीं है और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये है या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है। रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी । जबकि ग्राम पंचायत सेलागुडा ग्राम ढेलाणा में आबादी भूमि आराजी 591 में भूखण्डों को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 नियम 158-(1) प्रारूप-23 (ग) (50 पट्टे) जारी किए गये पट्टे अपात्र व्यक्तियों को आवंटित कर दिये गये। जिसको प्लान अनुमोदन के पश्चात भूखण्डों को नियमों के अन्तर्गत खुली बोली/नीलामी के माध्यम से अधिकतम बोलीदाता को आवंटित किए जाने चाहिए थे। अंकेक्षण टिप्पणीः- 1. ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समिति राजस्थान पंचायती राज नियम 158 (1) के तहत पट्टा जारी करने से पूर्व गांव में निवासरत अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गों के सदस्यों, गांव कारीगरों श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों विकलांगो,जन-जातियों गाडिया लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृह स्थल/गृह नहीं है और ऐसे बाढ़ ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये है या गृह स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है। रियायती दरों पर आंवटित कर सकेंगी इस प्रावधान में नियमों के तहत पात्र परिवारों का चयन न कर अपात्र परिवारों को भूखण्ड आवंटित कर नियमों की अवहेलना करना। 2. भूखण्ड आंवटन में प्राथमिकता चयन करने संबंधी प्रक्रिया में सक्षम स्तर पर अनुमोदन प्राप्त न करना आवंटन में पारदर्शिता का अभाव होने से नियमों की अवहेलना करना पाया गया। अतः ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा ग्राम ढेलाणा में आरक्षित आबादी भूमि आराजी संख्या 591 को विक्रय करने हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम 141 से 154 तक की अवहेलना कर नियम 158(1) प्रारूप 23 (ग) में अपात्र परिवारों को भूखण्ड आंवटन (50 पट्टे)को खुली बोली द्वारा नीलाम नहीं किए जाने से आरक्षित दर के अनुसार डीएलसी दर 166 रूपये प्रति वर्ग फीट भुखण्ड साईज 30X45 क्षैत्रफल 1350 वर्गफीट के अनुसार वित्तीय हानि राशि रु 111.30 लाख का संबंधित गठित समिति का उत्तरदायित्व निर्धारित करने एवं अपात्र व्यक्तियों को भूखण्ड आवंटन निरस्त करने हेतु अंकेक्षण रिपोर्ट में दर्शाया है। दौराने जांच पाया गया कि विकास अधिकारी आमेट जिला राजसमन्द द्वारा श्री उगराज सिंह सहायक विकास अधिकारी से उक्त पट्टो की जांच करायी गयी। श्री उगराज सिंह सहायक विकास अधिकारी ने उक्त पट्टो की जांच कर अपनी जांच रिपोर्ट में उक्त

जारी शुदा पट्टे नियम विरूद्ध जारी होना एवं उक्त पट्टो को निरस्त किए जाने की अनुशंषा की गई। जिस पर विकास अधिकारी द्वारा उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर एवं आडिट रिपोर्ट में निकाले गए आक्षेप की अनुपालना (विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत को जिला कलक्टर से पट्टे निरस्त करवाने हेतु पत्र लिखा जा चुका है। अंकित कर) तैयार कर श्रीमान कार्यकारी अधिकारी जिला राजसमन्द को प्रेषित की गई थी। जिस पर श्रीमान कार्यकारी अधिकारी जिला राजसमन्द द्वारा अपनी टिप्पणी अंकित कर आक्षेप निरस्त कराने बाबत् श्रीमान निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग जयपुर को प्रेषित किया गया। इसके पश्चात श्रीमान कार्यकारी अधिकारी जिला राजसमन्द द्वारा अपने पत्र क्रमांक 226 दिनांक 23.11.2022 से उक्त सूचना श्रीमान वित्तिय सलाहकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर प्रेषित की गई। विकास अधिकारी पंचायत समिति आमेट जिला राजसमन्द के आदेशानुसार ग्राम पंचायत सेलागुढा द्वारा उक्त पट्टो को निरस्त कराने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर राजसमन्द में निगरानी दायर करायी गयी है। अतः ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा ग्राम ढेलाणा में आरक्षित आबादी भूमि आराजी संख्या- 591 को विक्रय करने हेतु राजस्थान पंचायतीराज नियम के नियम 141 से 154 तक की पालना न कर नियम 157 (2) (प्रारूप-23 ख) में अपात्र परिवारों को भूखण्ड आंवटन (100) पट्टे जारी) को खुली बोली द्वारा नीलामी नही किये जाने से आरक्षित दर के अनुसार डीएलसी दर 166 रूपये प्रति वर्ग फीट भुखण्ड साईज 30X45 क्षैत्रफल 1350 वर्गफीट के अनुसार वित्तीय हानि राशि रु 222.60 लाख का संबंधित गठित समिति का उत्तरदायित्व निर्धारित करने एवं अपात्र परिवारों को भूखण्ड आंवटन करने तथा ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा ग्राम ढेलाणा में आरक्षित आबादी भूमि आराजी संख्या 591 को विक्रय करने हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम 141 से 154 तक की अवहेलना कर नियम 158(1) प्रारूप 23 (ग) में अपात्र परिवारों को भूखण्ड आंवटन (50 पट्टे) को खुली बोली द्वारा नीलाम नहीं किए जाने से आरक्षित दर के अनुसार डीएलसी दर 166 रूपये प्रति वर्ग फीट भुखण्ड साईज 30X45 क्षैत्रफल 1350 वर्गफीट के अनुसार वित्तीय हानि राशि रु 111.30 लाख का संबंधित गठित समिति का उत्तरदायित्व निर्धारित करने एवं अपात्र व्यक्तियों को भूखण्ड आवंटन किया जाना जांच से पाया गया। इस प्रकार श्री नेनालाल रेगर तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सेलागुडा पंचायत समिति आमेट जिला राजसमन्द एवं श्री जगदीश चन्द्र गर्ग तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, ग्रा0 पंचायत सेलागुडा, पंचायत समिति आमेट जिला राजसमन्द द्वारा उपरोक्तानुसार 150 लाभार्थीगण से आपसी मिलीभगत कर नियम विरूद्ध 150 पट्टे जारी कर अपने पद व अधिकारों का दुरूपयोग कर ग्राम पंचायत सेलागुडा पंचायत समिति आमेट जिला राजसमन्द के ग्राम ढेलाणा में 222.60 लाख रूपये एवं ग्राम सेलागुडा में 111.30 लाख रूपये इस प्रकार कुल राशि- 333.90 लाख रूपये का राजकोष को नुकसान पहुंचाया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपीगण (1) श्री नैनालाल पिता उंकार जी रेगर उम्र 66 साल निवासी सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सेलागुडा प0स0 आमेट जिला राजसमन्द । (2) श्री जगदीश चन्द्र गर्ग पिता मोतीलाल गर्ग उम्र 60 साल निवासी खण्डेल तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द एवं अन्य के विरूद्ध अपराध जूर्म अन्तर्गत धारा 13 (1) (डी), 13 (2) पी0सी0 एक्ट 1988 एवं सपठित धारा 120 बी IPC का कारित करना पाया जाता है। अतः उक्त आरोपीगण के विरूद्ध बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु मुख्यालय भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर को सादर प्रेषित है। भवदीय, (हिम्मत चारण) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमंद.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हिम्मत चारण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13 (1) (डी), 13 (2) पी0सी0 एक्ट 1988 एवं सपठित धारा 120 बी IPC में आरोपीगण (1) श्री नैनालाल पिता उंकार जी रेगर उम्र 66 साल निवासी सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सेलागुडा प0स0 आमेट जिला राजसमन्द व (2) श्री जगदीश चन्द्र गर्ग पिता मोतीलाल गर्ग उम्र 60 साल निवासी खण्डेल तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द एवं अन्य के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राजीव जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर-एस.यू. को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 288 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 348-53 दिनांक 17.02.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राजसमन्द 2- संभागीय आयुक्त, उदयपुर 3- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् राजसमंद 4- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द 6- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परिवाद्, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (परिवाद संख्या-20/2025) । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAJEEV JOSHI **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 17/02/2026 13:10:48

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1960				
2	Male	1966				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)